

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह से श्रीमती सीता शर्मा
2. वर्तमान स्थिति पर 28.08.2022
3. वर्तमान निवास 28.08.2022 अगली व्यवस्था की तारीख 28.08.2022

(1) उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा यदि गृह तथा अन्य भवन भूमि		(3) (4)	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर संपत्ति है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है (आप, पट्टा, बंधक, विपणन, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन को वापस और जिससे अर्जित हो गई हो उसका नाम तथा स्वीय)	(7) संपत्ति से वारिक आय	(8) अभियुक्ति
	(1)	(2)					
	श्रीमती सीता शर्मा	30.08.2022 (नर्स छात्र छात्र)					
	श्रीमती सीता शर्मा	30.08.2022 (नर्स छात्र छात्र)					

यदि संपत्ति न हो काट दी जाए।
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अलोकनीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 नियुक्ति : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार तारीख की अवधि के पर्याप्त पर पौखण्ड-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें अर्जित होने वाले स्वामित्व की बातें उल्लेख कर दें।
 यह नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक के सदस्यों के लिए लागू है।

हस्ताक्षर
 श्रीमती सीता शर्मा
 पद
 नि.श. कर्मचारी
 कोषाल (शर्मा)